

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/मुप-8/2016

जयपुर, दिनांक :- 09 MAY 2018

वीडियो कॉन्फ्रेंस नोटिस

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
समस्त, (राजस्थान)।


विषय – दिनांक 16.05.2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजन के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में **दिनांक 16.05.2018 को प्रातः 10:30 बजे से सांय 6:30 बजे तक समिति कक्ष, उत्तरी-पश्चिमी भवन, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर में समस्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गयी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम निम्नानुसार है :-**

क्र.सं.	समय	भाग लेने वाले अधिकारी	विषय जिन पर चर्चा की जानी है।
1	प्रातः 10:30 बजे से मध्याह्न 12:30 बजे तक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक	1. महात्मा गांधी नरेगा। 2. सामाजिक अंकेक्षण।
2	मध्याह्न 12: 30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	ग्रामीण विकास योजनाएँ 1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण। 2. आईडब्ल्यूएमएस। 3. एसएपी-1 4. एसएपी-1A 5. पीडी (एम एण्ड ई) 6. प्रशासन 7. वित्त एवं लेखा
3	सांय 2: 30 बजे से सांय 4.30 बजे तक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	पंचायतीराज योजनाएँ
4	सांय 4: 30 बजे से सांय 6:00 बजे तक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण/ स्वच्छ भारत मिशन


वी.सी. में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) ही भाग लेंगे। कृपया योजनाओं की अद्यतन सूचनाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

कृ. प्र. उ.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 6 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(परावि.)।
- 7 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 8 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग।
- 9 सहायक निदेशक (प्रचार), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 10 निम्नलिखित योजना प्रभारियों, ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर निवेदन है कि विडियो कॉन्फ्रेंस में आपकी योजना/विभाग को आवंटित समय पर अद्यतन सूचनाओं के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें।
 - 1 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महात्मा गांधी नरेगा।
 - 2 परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
 - 3 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी-1/II/(मो. एवं मू./एमई), ग्रामीण विकास विभाग।
 - 4 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
 - 5 अधिशाषी अभियन्ता, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायतीराज विभाग।
 - 6 संयुक्त निदेशक (मो.), पंचायतीराज विभाग।
 - 7 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 11 श्री श्रीपाल यादव, एनआईसी (वीसी प्रोग्राम) मुख्य भवन, कमरा नं. 4126, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि दिनांक 16.05.2018 को प्रातः 10:00 बजे से मध्याह्न 0:30 बजे तक राज्य के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस हेतु समिति कक्ष, उत्तरी - पश्चिमी भवन, एसएसओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर में आवश्यक व्यवस्था करवाने का श्रम करें।


परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)